[illegible]
मुकदमा नम्बर 2/2022
रजिस्ट्रेशन नम्बर 2022/[illegible]

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनों को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम सुवादिया तहसील डेह के खसरा नं. 539 में से तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 के अनुसार नीली स्याही से डोटेड मार्क के अनुसार 15 फुट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 शामिल प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। उक्त खसरा में से बैंक के रहन इन्तकाल का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम सुवादिया तहसील डेह के खसरा नं. 537 व 538 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थीया तीजू देवी पुत्री दीपाराम से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/2/24 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

Scanned with CamScanner